

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ अधिसूचना ॥

सं०सं०-16/आरोप-05-29/2025

पटना, दिनांक-

श्री संदीप कुमार ठाकुर, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, परसा बाजार सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, भभुआ का कार्यालय को अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम, 10 (i) के प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-1686 दिनांक-05.03.2024 द्वारा दिनांक-20.07.2020 से 75 प्रतिशत जीवन निर्वाह भत्ता के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. श्री ठाकुर नगर पंचायत, परसा बाजार के पदस्थापन अवधि में श्री सोहन राय से 18000/- रुपये रिश्वत लेने के आरोप में निगरानी विभाग के द्वारा उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। श्री ठाकुर का यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3 (1) (i), (ii) व (iii) के आलोक में लोक सेवक के आचरण के प्रतिकूल, कर्तव्य के प्रति पूरी शीलनिष्ठा नहीं रखने एवं भ्रष्टाचार का परिचायक है। यह आरोप गंभीर प्रकृति के हैं।

3. विभाग अंतर्गत निलंबित सरकारी सेवकों के निलंबन की समीक्षा हेतु गठित समिति की दिनांक-28.02.2026 को आहूत बैठक में समिति द्वारा श्री ठाकुर के संबंध में की गयी अनुशंसा के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम, 10 (ii) एवं 10 (4) के प्रावधान के आलोक में श्री संदीप कुमार ठाकुर, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, परसा बाजार सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, भभुआ का कार्यालय को विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-1686 दिनांक-05.03.2024 द्वारा 75 प्रतिशत जीवन निर्वाह भत्ता के भुगतान की दी गयी स्वीकृति को आदेश निर्गत की तिथि से 50 प्रतिशत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(राजीव रंजन तिवारी)

सरकार के उप सचिव।

पटना, दिनांक-23/3/26

ज्ञापांक-16/आरोप-05-29/2025

940

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/
संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद,
भभुआ/श्री संदीप कुमार ठाकुर, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, परसा बाजार
सम्प्रति निलबित मुख्यालय—कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, भभुआ का कार्यालय को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई०टी०
प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

P. S. R.
23/03/2016

सरकार के उप सचिव।